निखिल हत्याकांड. न्याय की मांग कर रहे लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम की

हत्या के विरोध में शव लेकर सड़क पर उतरे परिजनों का हंगामा, पुलिस ने जबरन हटाया

कल्पनापुरी के पास निखिल की कर दी गयी थी हत्या

प्रतिनिधि, आदित्यपुर


सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाती पुलिस.

मंगलवार को कल्पनापुरी के पास स्थित आदिवासी श्मशान स्थल परिसर में झाड़ियों के बीच निखिल कुमार डे नामक युवक की हत्या का विरोध करते हुए न्याय मांगने के लिए उसके परिजन सड़कों पर उतर गये. बुधवार की शाम मृतक के शव के साथ आदित्यपुर-कांड्रा मुख्य मार्ग पर शेर-ए-पंजाब चौक को जाम करने का प्रयास किया गया. शाम के समय में यातायात के अत्यधिक दबाव के कारण सड़क पर लगभग 10 से 15 मिनट में सैकड़ों वाहनों की कतार लग गयी. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए महिला-पुरुष जवानों के साथ आदित्यपुर पुलिस भी सड़क उतर गयी और सख्ती के साथ परिजनों को सड़क से हटा दिया. शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज कर यातायात व्यवस्था पूर्ववत बनाया. इस बीच सड़क पर काफी हंगामा हुआ.

मृतक के परिजनों में शामिल महिलाओं ने पुलिस पर मृतक के शव को जबरन ले जाने, मारपीट करने, मोबाइल रख लेने, धक्का-मुक्की करने व पति को थाने ले जाने का आरोप लगाया. हंगामा कर रहे लोगों को कल्पनापुरी क्षेत्र के पार्षद अवधेश सिंह ने समझा-बुझा कर शांत कराया. उन्होंने बताया कि देर शाम मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया. उन्होंने उक्त कांड में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की.

दो आरोपी भेजे गये जेल, एक अब भी फरार



आदित्यपुर. निखिल कुमार डे हत्याकांड में शामिल दो युवकों हरिओमनगर इंदिराबस्ती के गणेश मुर्मू उर्फ डेबो (20) व नुवागोड़ा (सरायकेला) के अजीत सुरेन उर्फ गडरू (19) को पूछताछ के बाद बुधवार को पुलिस ने जेल भेज दिया. उसे मंगलवार को कांड के तुरंत बाद घटना स्थल से पकड़ा गया था. इनके पास से मोबाइल फोन, अभियुक्त के बदन में मृतक का खून लगा कपड़ा व अन्य सामान बरामद किये गये. मृतक के पिता के बयान पर शर्माबस्ती के करण सुरेन उर्फ डेले तथा अन्य अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी. करण सुरेन फिलहाल फरार है. आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. साथ ही इन लोगों ने उक्त कांड में करण की मुख्य रूप से संलिप्तता बतायी. इन्होंने पूरी घटना का वीडियो बनाने की बात बतायी है.

दुर्गा पूजा मैदान की घेराबंदी का विरोध


मैदान की घेराबंदी का विरोध करते स्थानीय लोग.

आदित्यपुर. एस टाइप दुर्गा पूजा मैदान के नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण किये जाने के क्रम में मैदान का किसी प्रकार की घेराबंदी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया. दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बबलू सिंह के नेतृत्व में मैदान में जमा लोगों ने कहा कि छठ पूजा को लेकर वार्ड सभा की तिथि 15 नवंबर किये जाने का लिखित अनुरोध नगर आयुक्त से किया गया था, उन्होंने इसके लिए मौखिक आश्वासन भी दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मंगलवार को हुई वार्ड सभा जनता के साथ धोखा थी. इसलिए वार्ड सभा का बहिष्कार किया गया. मैदान का सौंदर्यीकरण हो, लेकिन किसी प्रकार की चहारदीवारी नहीं होने दी जायेगी. मैदान न तो नगर निगम का है और न ही आवास बोर्ड का. यहां के लोगों ने घर के साथ इसका पैसा दिया है. किसी प्रकार के निर्माण से मैदान छोटा हो जायेगा. उप मेयर अंकुर सिंह राजनीति कर रहे हैं. वे अपने घर या शिव मंदिर के पास के मैदान का सौंदर्यीकरण नहीं करवा रहे हैं. इस अवसर पर पूर्व पार्षद सुधीर कुमार, राणा सिंह, संजय शर्मा, अशांत सिंह, आलोक श्रीवास्तव, गुरप्रीत सिंह, सोनी सिंह, नीरू सिंह, रेखा सिंह, डिम्पल, शारदा देवी, सुधा देवी, राजा सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे.

लोगों को गुमराह कर रहे स्वार्थी लोग : पार्षद



आदित्यपुर. एस टाइप दुर्गा पूजा मैदान की घेराबंदी विरोध मामले में पार्षद अंजू सिंह ने अपने प्रतिनिधि संजीव सिंह बबुआ के साथ प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व अपना हित साधने के लिए यहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्हें बहला-फुसला कर उन्हें भड़का रहे हैं. मैदान में वर्षों से अतिक्रमण था, काफी प्रयास से हटा. मैदान की ओर मॉल व ब्लिंकिट का बड़ा गेट खोल दिया गया. मैदान की ओर ही एसी पैनल लगा दिया गया. मैदान का दुरुपयोग बालू बेचने समेत की अन्य धंधे से किया जा रहा था. यहां सिर्फ मॉल व ब्लिंकिट की तरफ चहारदीवारी का प्रस्ताव है. बाकी जगह गार्ड वाल होंगे, ताकि वाहनों को अंदर जाने से रोका जा सके. विरोध में शामिल पूर्व पार्षद सुधीर कुमार स्वयं कहा था कि मॉल का अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया जा रहा है.

दक्षिण पूर्व रेलवे – निविदा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए, मुख्य अभियंता (निर्माण)/II/गार्डन रीच, कोलकाता–700043 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। **ई–निविदा सूचना सं.: 4695–जीआरसी–सीई–सी–II–56–2026, कार्यों का संक्षिप्त विवरण:** इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बादामपहाड़ और केन्दुझरगढ़ स्टेशन (77.110 किमी) (बादामपहाड़ और केन्दुझरगढ़ यार्ड को छोड़कर) के बीच नई बीजी रेलवे लाइन का निर्माण जिसमें शामिल है मिट्टीकार्य, ब्लैंकेटिंग, बड़े और छोटे ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, आवासीय और सेवा भवन एवं 25 टन भारतीय रेलवे मानक लोडिंग के लिए अन्य विविध कार्य, इनडोर और आउटडोर एस एंड टी कार्यों का निष्पादन, सामान्य विद्युत कार्यों का निष्पादन, ट्रैक्शन और बिजली आपूर्ति के लिए 2X25 केवी ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) की स्थापना और आरंभ। **बोली पूर्व बैठक:** प्रथम तारीख: 08.12.2026 और द्वितीय तारीख: 08.01.2027, **समय:** 12:00 बजे। **स्थान:** मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) का कार्यालय, 11, गार्डन रीच रोड, कोलकाता–700043, **अनुमानित मूल्य:** रु.2004.46 करोड़। **बोली प्रतिभूति:** रु. 40,08,92,100/–, **समापन अवधि:** 48 माह। **अंतिम तिथि:** 19.02.2027 को 12.00 बजे (आईएसटी)। इच्छुक निविदाकार निविदा के संपूर्ण विवरण/वर्णन/विनिर्देश के लिए वेबसाइट **www.ireps. gov.in** देख सकते हैं एवं अपनी बोली ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में इन मदों के लिए मैनुअल निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। उपर्युक्त निविदा वेबसाइट **www.ireps. gov.in** पर अपलोड कर दी गई है। निविदा नियत तिथि को 12.00 बजे बंद की जाएगी। **द्रष्टव्य:** "प्रत्याशित बोलीदाता सभी अन्य निविदाओं में भाग लेने के लिए, **www.ireps.gov.in** नियमित रूप से देख सकते हैं।" **(PR-1020)**

वसूली प्रमाणपत्र (आर.सी.) संख्या: 333/2022 के अंतर्गत

समन

(बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 29 में संदर्भित दूसरी अनुसूची के नियम 83 के अनुसार)

वसूली अधिकारी का न्यायालय
ऋण वसूली अधिकरण
(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय)
पांचवां तल, प्रगति सदन,
आरआरडीए भवन, कचहरी चौक,
रांची–834001 (झारखंड)

प्रति,

1. श्री मलेंद्र अग्रवाल, पिता–बनवारी लाल अग्रवाल, फ्लैट संख्या 210, द्वितीय तल, मंदाकिनी अपार्टमेंट, सोमारी, जमशेदपुर– 831011। इसके अतिरिक्त, देखरेख में–रामजी प्रसाद, अशोक पथ, डिंडली बस्ती, खान बस्ती के निकट, आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–832110। साथ ही, मेसर्स महिंदर जनरल स्टोर, शेर-ए-पंजाब चौक, गंगा कॉम्प्लेक्स के निकट, डाकघर एवं थाना– आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–832110।
2. श्रीमती सपना अग्रवाल, पत्नी–श्री मलेंद्र अग्रवाल, फ्लैट संख्या 210, द्वितीय तल, मंदाकिनी अपार्टमेंट, सोमारी, जमशेदपुर– 831011। इसके अतिरिक्त, देखरेख में–रामजी प्रसाद, अशोक पथ, डिंडली बस्ती, खान बस्ती के निकट, आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–832110। साथ ही, मेसर्स महिंदर जनरल स्टोर, शेर-ए-पंजाब चौक, गंगा कॉम्प्लेक्स के निकट, डाकघर एवं थाना– आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–832110।
3. मेसर्स साईराम डेवलपर्स (प्रवर्तक एवं विकासकर्ता), 53, प्रथम तल, ठाकुरबाड़ी रोड, साकची, जमशेदपुर–831001।
4. श्री अश्विनी कुमार, पिता–श्री रामाकांत सिंह, मेसर्स साईराम डेवलपर्स (प्रवर्तक एवं विकासकर्ता) के साझेदार, होल्डिंग संख्या 211, रोड संख्या 1, बैकुंठ नगर, डाकघर एवं थाना– मानगो, जमशेदपुर, जिला– पूर्वी सिंहभूम–831013।
5. श्रीमती प्रतिभा वर्धन, पत्नी–स्वर्गीय पंचू गोपाल वर्धन, मेसर्स साईराम डेवलपर्स (प्रवर्तक एवं विकासकर्ता) की साझेदार, मकान संख्या 189/5, अशोक पथ के निकट, डिंडली बस्ती, डाकघर एवं थाना– आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–832110।

चूंकि एक्सिस बैंक लिमिटेड, आरएसी शाखा, जमशेदपुर बनाम श्री मलेंद्र अग्रवाल एवं अन्य के मामले में मूल आवेदन वाद संख्या 691/2017 से उत्पन्न वसूली कार्यवाही संख्या 333/2022 के अंतर्गत आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

अतः आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्रमाणपत्र के अंतर्गत देय बकाया राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आप दिनांक 02.12.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

यदि आप किसी विधिसम्मत कारण के बिना इस निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 29 में संदर्भित दूसरी अनुसूची के नियम 83 के अनुसार आपकी अनुपस्थिति के परिणामों के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2026 को रांची में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अधीन जारी।

हस्ताक्षरित/-
वसूली अधिकारी I

दिनदहाड़े हथियार के बल पर फाइनेंस कंपनी के एजेंट से ₹80 हजार की लूट

- बड़ा गम्हरिया (आदित्यपुर) निवासी मुकेश दास ने थाने में शिकायत की
- दो संदिग्धों से हो रही पूछताछ

धालभूमगढ़. धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के गोगलो रोड में बुधवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट बड़ा गम्हरिया (आदित्यपुर) निवासी मुकेश दास से करीब 80 हजार रुपयों से भरा बैग लूट लिया. इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

कलेक्शन कर भालकी से धालभूमगढ़ लौट रहा था एजेंट : मुकेश दास ने पुलिस को बताया कि वे लगभग 80 हजार रुपये कलेक्शन कर भालकी से अपनी स्कूटी से धालभूमगढ़ लौट रहे थे. इसी दौरान जीएनडी कॉलेज से सटे काजू जंगल के पास एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति खड़े थे. उन्होंने मुकेश दास को रोक लिया. एक लोहे के चमकीले हथियार से धमकाकर उनकी स्कूटी की डिक्की खुलवायी. इसके बाद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गये.

एजेंट ने बताया कि सुनसान इलाका होने और अपनी जान के डर से उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया. बदमाशों के कहने पर डिक्की खोल दी. मुकेश दास ने जानकारी दी कि नया क्षेत्र होने के कारण उन्हें यहां के रास्तों और इलाकों की पूरी जानकारी नहीं है. घटना के तुरंत बाद उन्होंने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी.

15 मांगों पर सहमति, 58 घंटे बाद काम शुरू

विजयश्री कंपनी के मजदूर मांगों को लेकर काम बंद किये हुए थे


वार्ता में शामिल पदाधिकारी, कंपनी प्रबंधन के लोग व मजदूरों के प्रतिनिधि.

गम्हरिया. विजयश्री ऑटोकॉम लिमिटेड में श्रमिकों की मांगों को लेकर बुधवार को प्रबंधन, झामुमो और प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ. वार्ता के बाद श्रमिकों की 15 मांगों पर सहमति बनी. इसके साथ ही कंपनी में करीब 58 घंटे बाद कामकाज शुरू हो गया. बुधवार को करीब तीन बजे झामुमो जिलाध्यक्ष डॉ शुभेंदु महतो और जिला सचिव बैद्यनाथ टुडू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी प्रबंधन को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा. इसके बाद श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर और गम्हरिया थाना प्रभारी राजेश टुडू की मौजूदगी में प्रबंधन एवं झामुमो प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई. समझौता पत्र पर प्रबंधन की ओर से अंकुश अग्रवाल तथा झामुमो की ओर से डॉ शुभेंदु महतो और बैद्यनाथ टुडू ने हस्ताक्षर किए. साक्षी के रूप में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर एवं गम्हरिया थाना प्रभारी ने भी हस्ताक्षर किए. तत्काल प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, श्रमिकों को वेतन पर्ची और भुगतान का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, 10 दिनों के भीतर श्रमिक शिकायत निवारण समिति का गठन करने आदि पर सहमति बनी.

तीन दिनों का भुगतान करने का निर्णय : इसके अलावा शनिवार की उपस्थिति के आधार पर सभी श्रमिकों को तीन दिनों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया. प्रबंधन ने कंपनी में चिकित्सा सुविधा जारी रखने पर भी सहमति जतायी.

सिटी बाइट्स

एनआइटी : अनुसंधान व शोधपत्र लेखन बूटकैंप शुरू



आदित्यपुर. एनआइटी जमशेदपुर में आरएफ सर्किट, एंटीना व मेटासर्फेस पर एक सप्ताह के अनुसंधान व शोध-पत्र लेखन बूटकैंप शुरू हुआ. यह 22 नवंबर तक चलेगा. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इस्टर्न सोलरिस इंनर्जी प्रालि के निदेशक सुमित कुमार मेहता, संस्थान के प्रभारी निदेशक प्रो संजय, प्रो सतीश कुमार, डॉ अखिलेश, आइआइइएसटी शिबपुर के मुख्य वक्ता प्रो सुसांत कुमार पारुई, विशिष्ट वक्ता डॉ सत्यजीत चक्रवर्ती व कार्यक्रम के समन्वयक डॉ सुरजीत कुंडू उपस्थित थे. डॉ कौशिक मंडल व प्रो देबांशु डे ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया. इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों से आए करीब 30 प्रतिभागियों के साथ एनआइटी जमशेदपुर के इसीइ विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थी, शोधार्थी व संकाय सदस्य उपस्थित थे.

जनजातीय गौरव पखवाड़ा का समापन, 412 बच्चे हुए पुरस्कृत



गम्हरिया. बलरामपुर स्थित विद्या भारती उच्च विद्यालय परिसर में बुधवार को भारती शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण संस्थान की ओर से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि छोटा गम्हरिया पंचायत की मुखिया निरोला सरदार ने बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. संस्थान की ओर से एक से 15 नवंबर तक आयोजित पखवाड़ा में 412 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया. समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया. समारोह को निरोला सरदार, हिमांशु सरकार ने संबोधित किया. मौके पर विद्यालय अध्यक्ष सुधांशु सरकार, प्रधानाचार्य कुणाल कुमार, को-ऑर्डिनेटर राधा पाल, सुशीला हांसदा एवं रानी किस्कू आदि उपस्थित थे.

आजसू पार्टी के दलबीर सिंह बग्गा ने दिया इस्तीफा

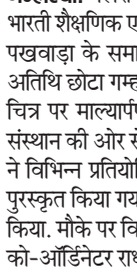

गम्हरिया. गम्हरिया निवासी दलबीर सिंह बग्गा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को भेज दिया है. इस्तीफा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि वे वर्तमान में पार्टी के केंद्रीय सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे.

बागबेड़ा : 1140 घरों में नियमित जलापूर्ति की मांग

आदित्यपुर. बागबेड़ा में जलापूर्ति समेत सात समस्याओं को लेकर पेयजल व स्वच्छता विभाग के इइ शिव कुमार दिनकर को मांग पत्र सौंप कर नए फिल्टर पंप हाउस की उच्चस्तरीय जांच कराने व 1140 क्वार्टरों में नियमित जलापूर्ति की मांग की गयी. पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता व मुखिया प्रतिनिधि केडी मुंडा ने निर्धारित समय पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने, रोड नंबर चार स्थित काली मंदिर के आसपास पिछले तीन माह से बंद जलापूर्ति चालू कराने, नए फिल्टर पंप हाउस की संभावित वित्तीय व तकनीकी अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. विभागीय बैठकों में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, कनीय अभियंता के कार्यालय में बैठने का समय निर्धारित करने व कुंवर सिंह मैदान के गड्ढे का समतलीकरण कराने की भी मांग की गयी.

120 छात्रों ने किया इंजीनियरिंग कॉलेज का शैक्षणिक भ्रमण

जमशेदपुर. आरवीएस एकेडमी के 12वीं के 120 विद्यार्थियों ने बुधवार को आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शैक्षणिक भ्रमण किया. इस दौरान विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग विभागों की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया. छात्रों को बीटेक, बीबीए, पॉलिटेक्निक और स्किल्स एकेडमी के पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया और रोजगार की संभावनाओं के बारे में बताया गया. स्कूल के चेयरमैन बिंदा सिंह ने छात्रों को नयी तकनीक और कौशल विकसित करने का आह्वान किया. प्रिंसिपल वीशा मोहिंद्रा ने कॉलेज प्रबंधन का आभार जताया.

जगधात्री पूजा की. गम्हरिया, दुगनी, नवागढ़ धतकीडीह समेत विभिन्न जगहों पर जगधात्री पूजा शुरू हुई. साथ ही माता की अराधना कर खुशहाली की कामना की.

देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
Deshratna Dr. Rajendra Prasad Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
बरौनी डेयरी – Barauni Dairy
COMFED | ISO:22000:2005

DRMU: PROJ: 7414 Date : 14.11.2026

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Online tenders are invited for Civil Work/ Construction of following works from reputed Contractors who are registered under Central/ State Govt./ Any PSU/COMFED under statutory requirements.

S.No	Name of Work	Estimated Cost	EMD Amounts
01	Construction of Hard Parking at MCC, Khagria under Akancchi Jila Scheme.	Rs. 42,15,391.00	Rs. 84,350.00
02	Construction of Cable Trench at MCC, Khagria under Akancchi Jila Scheme.	Rs. 5,32,884.00	Rs. 10,700.00
03	Construction of PPC Work around Ice Cream Plant at MCC, Khagria under Akancchi Jila Scheme.	Rs. 3,91,938.00	Rs. 7,850.00

Details of Tender programme, Tender documents, Earnest Money, Cost of tender document, specification of works, general terms & conditions are mentioned in tender document which may be obtained through website **https://eproc2.bihar.gov.in** since 19.11.2026.

Managing Director

रेलवे भर्ती सेल
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

वर्ष 2026–27 के लिए सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत भर्ती
रोजगार सूचना सं. एनईआर/आरआरसी/सीक्यू/2026–27 दिनांक: 16-11-2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि व समय:	17-11-2026, 18:00 बजे
ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तिथि व समय:	16-12-2026, 18:00 बजे

वर्ष 2026–27 के लिए सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत लेवल–2 (छठवें वेतन आयोग का ग्रेड पे रु. 1900) में ग्रुप 'सी' के 2 पदों पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विस्तृत सूचना के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट *www.ner.indianrailways.gov.in* देखें।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सेल, गोरखपुर

मुजाधि/आरआरसी–02

SBI भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई गृह ऋण केन्द्र, जमशेदपुर
प्रथम तल, जमशेदपुर शाखा भवन, बिष्टुपुर, जमशेदपुर–831001

वाहन की बिक्री (दिनांक: 27.11.2026) नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

भारतीय स्टेट बैंक ने हमारी शाखा के ऋण खाते में हाइपोथेकेशन समझौते के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित वाहनों को बैंक के बकाया की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ अपने कब्जे में ले लिया है।

क्र.सं.	कर्जदार का नाम	निर्माता	मॉडल	रजिस्ट्रेशन वर्ष	रजिस्ट्रेशन सं.	आरक्षित मूल्य (रु.)
01	श्री क्षितिज	STELLANTIS AUTOMOBILES INDIA PVT. LTD.	New Citron C3 X Live	2025	JH-05-EG-4218	रु. 3,31,000.00
02	श्री ललित कुमार राणा	KIA INDIA PVT. LTD.	KIA Carens G 1.5 GMT Prestige 07	2025	JH-05-DZ-0115	रु. 7,52,000.00
03	श्री सुशील होरो	HYUNDAI	Hyundai Creta 1.5 MPIMT SX	2023	JH-05-DZ-1578	रु. 8,95,000.00
04	श्री अमित कुमार सिंह	MARUTI INDIA LTD.	Maruti XL6 Smart Hybride Zeta	2025	JH-05-DZ-3987	रु. 9,74,000.00
05	श्री ऋषी राज	MAHINDRA & MAHINDRA LTD.	Scorpio BS-6.2 Classic 511MT75	2025	JH-05-EH-1011	रु. 16,53,000.00

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें:

1. **ई–नीलामी की तिथि :** 27.11.2026 **(शुक्रवार), समय :** 360 **मिनट सुबह** 11:00 **बजे से संध्या** 05:00 **बजे तक प्रत्येक** 10 **मिनट के विस्तार के साथ।**
2. ई–नीलामी, पोर्टल / वेबसाइट : **https://baanknet.com** के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
3. बोलीदाताओं को अपने मोबाइल सं. एवं ईमेल–आईडी का उपयोग करके इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा, उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा जो सत्यापित हो जाते हैं (2 कार्य दिवस लग सकते हैं), तो बोलीदाताओं को समय पर ईएमडी राशि एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित करनी होगी।
4. सफल बोलीदाता को पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने के बाद, तुरंत यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, बिक्री मूल्य का 10% जमा करना होगा। बिक्री मूल्य का शेष 90% बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले देय होगा।
5. किसी भी आवेदन को या पूरी नीलामी प्रक्रिया को निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।
6. संपत्ति / वाहन संबंधी पूछताछ / सत्यापन के लिए मोबाईल सं. **9031802451, 8102076901** पर संपर्क करें, संपर्क का समय : **सुबह** 11:00 **बजे से शाम** 05:00 **बजे के मध्य** बोलीदाताओं से अनुरोध है कि एसबीआई जमशेदपुर मुख्य शाखा, बिष्टुपुर के परिसर में कार्यालय समय के दौरान ई–नीलामी से पहले व्यक्तिगत रूप से संपत्ति / वाहन का सत्यापन कर लें।
7. बैंक द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बाद जीएसटी, वाहन पंजीकरण शुल्क / खर्च स्वयं सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

दिनांक : 18.11.2026, स्थान : जमशेदपुर | प्रकाशन में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। | ह०/– (प्राधिकृत अधिकारी) भारतीय स्टेट बैंक, गृह ऋण केन्द्र जमशेदपुर

इण्डियन ओवरसीज बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जमशेदपुर शाखा
टी के कॉपरेट टावर, बिष्टुपुर, जमशेदपुर
फोन: 0657-2324449 एवं ई-मेल आईडी: iob0424@iob.in

मांग सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) की धारा 13(2) तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अधीन।

1. जबकि अधोहस्ताक्षरी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत तथा धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर चुके हैं, जिसके द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/बंधककर्त्ताओं/जमानतदारों (जिन्हें आगे "उक्त उधारकर्ता" कहा गया है) को नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान, नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरणानुसार करने हेतु आह्वान किया गया था।
2. उक्त नोटिस डाक प्राधिकरणों द्वारा अप्रेषित लौटाए गए हैं / अथवा उधारकर्ताओं/बंधककर्त्ताओं/जमानतदारों द्वारा विधिवत प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है। अतः बैंक, अत्यधिक सावधानी के उपाय के रूप में, इस मांग सूचना का प्रकाशन कर रहा है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्त्ताओं/जमानतदारों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों पर इन नोटिसों को चस्पा कराया है। उक्त नोटिसों की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा यदि उक्त उधारकर्ता/बंधककर्त्ता/जमानतदार चाहें, तो वे किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से उनकी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, उक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्त्ताओं/जमानतदारों को पुनः यह सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को ऋण एवं अन्य दस्तावेजों के अंतर्गत नीचे दर्शाई गई देय राशि का भुगतान करें। ऋण की समुचित अदायगी के लिए सुरक्षा के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियां संबंधित पक्षों द्वारा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई हैं।

क्रमांक	उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / जमानतदारों का नाम एवं पता	कुल बकाया राशि (दिनांक 30.10.2026 तक)	सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि
01	**मेसर्स सतपाल एंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर: श्री सोहन सिंह)** दुकान संख्या 87 एवं 88, दारुल बैग, मस्जिद रोड, धातकीडीह, जमशेदपुर – 831001	₹ 95,71,955.13 (ब्याज दर (ROI): 12.25% (10.25% + अतिदेय ब्याज 2.00%))	1. ऋण की राशि से क्रय किए गए स्टॉक, बही ऋण (प्राप्य व्यापारिक देयताएँ) एवं उपकरणों का दृष्टिबंधक। 2. श्री सोहन सिंह के स्वामित्व वाले आवासीय फ्लैट का बंधक, जिसका विवरण निम्नवत् है: फ्लैट संख्या 502, पाँचवीं मंजिल, अक्षय अपार्टमेंट, मौजा-भाटिया, थाना संख्या 127, वार्ड संख्या 4, थाना- आदित्यपुर, प्रखंड- गम्हरिया, जिला- सरायकेला खरसावाँ, पिन-831013	10.11.2026

*उपर्युक्त तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक, अनुबंधित दरों एवं सहमत अवधि/विश्राम (rests) के अनुसार देय ब्याज सहित।

4. यदि उक्त उधारकर्ता/बंधककर्ता/जमानतदार उपर्युक्तानुसार इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) तथा नियमों के अंतर्गत उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जिसका समस्त जोखिम, व्यय एवं परिणाम उक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/जमानतदारों के उत्तरदायित्व पर होगा।
5. इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उन्हें सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन (Redemption) हेतु उपलब्ध समयावधि से संबंधित हैं।
6. उक्त उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/जमानतदारों को SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा, हस्तांतरण अथवा अन्य किसी प्रकार से निपटान करने से, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, प्रतिबंधित किया जाता है। अधिनियम अथवा नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने या उल्लंघन के लिए